

[14/3/2022]

प्रश्न सं. [क. 1796]

परिशिष्ट-1अ

गौसेवा भारती गौशाला बसई विकासखण्ड को प्रदाय अनुदान राशि का
पत्रक

क्र०	वर्ष	अनुदान राशि
1	2012-13	200448
2	2013-14	440598
3	2014-15	148352
4	2015-16	208890
5	2016-17	202713
6	2017-18	362608
7	2018-19	457625
8	2019-20	603880
9	2020-21	1219380
10	2021-22	789457

उप-प्रधान
श.प्र. गौशाला एवं पशुधन संवर्धन बन्द


(डॉ अजय रामटेके)
उपसंचालक
पशु चिकित्सा संवायें
जिला भोपाल

मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड

कार्यालय : गौमंगलम्, माता मंदिर चौराहा, भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष : 0755-2776310, फ़ैक्स : 0755-2776285 ईमेल mpgopalanboard@gmail.com

आदेश

मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की नियमावली (यथासंशोधित) 2006 के अनुसार गौसेवा भारती गौशाला बसई, वि.ख. बैरसिया, जिला भोपाल को म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में पंजीयन क्रमांक 390 दिनांक 08.06.2003 पर पंजीयन किया गया था।

उपसंचालक एवं सचिव, जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति, जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 541/गौशाला/2021-22 भोपाल, दिनांक 04.02.2022 द्वारा गौसेवा भारती गौशाला बसई, वि.ख. बैरसिया, जिला भोपाल के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। अतः म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की नियमावली (यथासंशोधित) 2006 के नियम 11 (vii) के अनुसार उक्त गौशाला का पंजीयन दिनांक 09.02.2022 को निरस्त किया जाता है।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित।)

उप संचालक

म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/गौसंवर्धन बोर्ड/पंजीयन निरस्तीकरण/2021-22, भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति, जिला भोपाल की ओर सूचनाार्थ प्रेषित।
2. उप संचालक/संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाार्थ प्रेषित।
3. अध्यक्ष, गौसेवा भारती गौशाला बसई, वि.ख. बैरसिया, जिला भोपाल की ओर सूचनाार्थ प्रेषित।

उप संचालक

म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड
भोपाल

574
22/2/22

उप संचालक
म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड
भोपाल

RAJ
A
22/02/22

कार्यालय थाना प्रभारी थाना बैरसिया जिला भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक-था.प्र./बैर/भो/डी./५५/२२

दिनांक - 06-02-22

प्रति,

प्रभारी अधिकारी
गौ संवर्धन बोर्ड 25 चित्रगुप्तनगर
कोटरा सुल्तानाबाद जिला भोपाल (म.प्र.)


विषय:- गौ सेवा भारती गौशाला बसई बैरसिया को आपके द्वारा दिये गये दिशानिर्देश व संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि थाना बैरसिया जिला भोपाल के अपराध क्रमांक 66/22 धारा 279,270 भादवि एवं 11(1)(ज) पशु क्रूरता अधि. 1960 का दिनांक 30.01.22 के पजीबद्ध किया गया है जिसमें मृत मवेशी कुल 78 पूर्व मृत मवेशी गौशाला के पीछे गढे में व बसई तलाब के समीप दिनांक 30.01.22 को सडे हुये शव पाये गये थे एवं मृत 09 मवेशियों का पीएम कराया गया था कुल मृत मवेशियों की संख्या 87 पायी गयी है।

गौसेवा भारती गौशाला बसई बैरसिया भोपाल किसके द्वारा संचालित की जा रही है संचालन के संबंध में नियुक्ति एवं संचालन की तिथी के आदेश की प्रति व नियमावली एवं गौशाला परिक्षेत्र में किलने मवेशियों के रहने की क्षमता है एवं आपके द्वारा उक्त गौशाला में किलने तिथियों में भ्रमण किया है एवं भ्रमण के दौरान गौशाला संचालक को दिशानिर्देश जारी किये गये है प्रमाणित प्रते के साथ जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अतः प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रेषित है।


थाना प्रभारी
थाना बैरसिया, भोपाल